

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक:-.....

विषय:- सप्तम् केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतनसंरचना में वेतन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों को दिनांक-01/07/2024 के प्रभाव से 50% के स्थान पर 53% महँगाई भत्ता की स्वीकृति के संबंध में।

वित्त विभागीय संकल्प सं०-2891/वि०, दिनांक-15/03/2024 द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों को केन्द्र सरकार के अनुरूप दिनांक-01/01/2024 के प्रभाव से 50% प्रतिशत की दर से महँगाई भत्ता की स्वीकृति दी गई थी।

2. भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/5/2024-E-II(B), दिनांक-21/10/2024 के द्वारा सप्तम् केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन प्राप्त कर रहे केन्द्र सरकार के सरकारी सेवकों को दिनांक-01/07/2024 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दर 50% से बढ़ाकर 53% स्वीकृत किया गया है।

3. राज्य सरकार भी अपने सरकारी सेवकों को महँगाई भत्ता की स्वीकृति केन्द्र सरकार के अनुरूप उसी दर पर एवं उसी तिथि से करती रही है।

4. उक्त आलोक में राज्य सरकार ने सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया है कि-

- (i) सप्तम् केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतनसंरचना में वेतन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों के लिए दिनांक-01/07/2024 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दर 50% से बढ़ाकर 53% करने की स्वीकृति दी जाती है।
- (ii) बढ़ी हुई दर से महँगाई भत्ता का भुगतान दिनांक-01/07/2024 के प्रभाव से किया जाएगा।
- (iii) सप्तम् केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतनसंरचना में 'मूल वेतन' का तात्पर्य पे-मैट्रिक्स में विहित वेतनस्तर में आहरित किए जाने वाले वेतन से है। इसमें विशेष वेतन अथवा वैयक्तिक वेतन को शामिल नहीं किया जाएगा।
- (iv) महँगाई भत्ता की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे अगले रुपये में पूर्णांकित कर दिया जायेगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा।
- (v) उपर्युक्त महँगाई भत्ता की राशि का नगद भुगतान किया जायेगा। कोषागार पदाधिकारी द्वारा महालेखाकार/वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग के प्राधिकार पत्र की प्रतीक्षा किये बिना देय भुगतान तत्काल औपबधिक रूप से कर दिया जायेगा।

5. वर्द्धित मँहँगाई भत्ता के बकाये राशि का भुगतान माह नवम्बर, 2024 के वेतन संवितरण के पश्चात् किया जाएगा।

6. पटना उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् के कर्मियों को पुनरीक्षित वेतनसंरचना में वर्द्धित दर से मँहँगाई भत्ता, माननीय मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद् की स्वीकृति से भुगतेय होगा।

आदेश: आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

ह0/-

(आनन्द किशोर)

प्रधान सचिव, वित्त विभाग।

ज्ञापांक:—3ए-3-भत्ता-01/2022 —_____/वि० पटना, दिनांक:—____

प्रतिलिपि:—महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(आनन्द किशोर)

प्रधान सचिव, वित्त विभाग।

ज्ञापांक:—3ए-3-भत्ता-01/2022 —_____/वि० पटना, दिनांक:—____

प्रतिलिपि:—महामहिम राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी आरक्षी अधीक्षक/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी जिला लेखा पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(आनन्द किशोर)

प्रधान सचिव, वित्त विभाग।

ज्ञापांक:—3ए-3-भत्ता-01/2022 —_____/वि० पटना, दिनांक:—____

प्रतिलिपि:—महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद् को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि मँहँगाई भत्ता की इस स्वीकृति के संबंध में माननीय मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, पटना/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार, विधान परिषद् की सहमति प्राप्त कर आदेश निर्गत किया जाय एवं वित्त विभाग, बिहार सरकार को भी इससे अवगत कराया जाय।

ह0/-

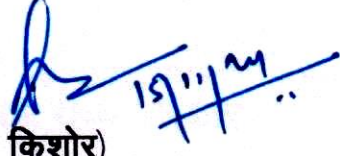
(आनन्द किशोर)

प्रधान सचिव, वित्त विभाग।

झापांक:-3ए-3-भत्ता-01/2022 - 12282/वि०

पटना, दिनांक:-15.11.2024

प्रतिलिपि:—प्रभारी पदाधिकारी, वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग/अवर सचिव, वेतन निर्धारण शाखा, वित्त विभाग/सिस्टम एनालिस्ट (बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु), वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(आनन्द किशोर)

प्रधान सचिव, वित्त विभाग।